CPCB

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर

दिल्ली-**110032**

सं.सी- 20017/5/2000-प्रशा(भर्ती)/एमएसीपी दिनांक :25.10.2023

आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था.(घ) और दिनांक 22.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2015-स्था.(घ) के अनुसरण में दिनांक 19-10-2023 को संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति (MACP) योजना की स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। निम्नलिखित कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत एतदद्वारा वेतन मैट्रिक्स में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है। ये कर्मचारी अपने नाम के सम्मुख यथा-उल्लिखित तिथि से वेतन मैट्रिक्स में ठीक अगले उच्चतर स्तर में जाएंगे :-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	वित्तीय उन्नयन के समय वेतन मैट्रिक्स का स्तर	एमएसीपी/प्रभावी तिथि/वेतन मैट्रिक्स के स्तर
1	श्री शंकर डी. बोकड़े, अनुभाग अधिकारी	स्तर-8	वेतन मैट्रिक्स के **स्तर-9** में दिनांक 29.09.2022 से प्रभावी तीसरी एमएसीपी हेतु पात्र
2	श्रीमति सविता गुप्ता, अनुभाग अधिकारी	स्तर-7	वेतन मैट्रिक्स के **स्तर-8** में दिनांक 01.09.2018 से प्रभावी तीसरी एमएसीपी हेतु पात्र
3	श्री रामेश्वर, अनुभाग अधिकारी	स्तर-7	वेतन मैट्रिक्स के **स्तर-8** में दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी दूसरी एमएसीपी हेतु पात्र
4	श्री सुनील कुमार, एम.टी.एस. ग्रेड-I	स्तर-2	वेतन मैट्रिक्स के **स्तर-3** में दिनांक 17.11.2023 प्रभावी दूसरी एमएसीपी हेतु पात्र

2) उपरोक्त कर्मचारियों को प्रदान किया गया वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:-

i. वित्तीय उन्नयन के कारण लाभार्थियों के पदनाम में कोई बदलाव नहीं होगा अर्थात वित्तीय लाभ पुराने पदनाम के प्रतिधारण के साथ स्वीकृत किया जाता है और उक्त वित्तीय उन्नयन उच्च स्तर से संबंधित कोई भी विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

ii. संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन पदधारियों (कर्मचारियों) के लिए पूर्ण रूप से व यक्तिगत होगा यह संबंधित कर्मचारियों की वास्तविक कार्यात्मक प्रोन्नति के समान नहीं होगा। इसके अलावा, उनकी परस्पर वरिष्ठता से इसका कोई संबंध नहीं होगा, और इस प्रकार, वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्रदान नहीं किया जायेगा कि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अधीन कनिष्ठ कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान प्राप्त हुआ है। संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना में निहित अवधारणा **''**वरिष्ठ-कनिष्ठ**''** की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है।

iii. उन्हें संस्तुत संशोधित वेतन मैट्रिक्स के पदक्रम में वेतन मैट्रिक्स के ठीक अगले उच्चतर स्तर में रखा गया है। अत: ऐसे कुछ मामलों में, जहां दो क्रमिक ग्रेडों के बीच नियमित प्रोन्नति उपलब्ध नहीं है, संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय प्राप्त स्तर (वेतन मैट्रिक्स में) नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध स्तर से भिन्न हो

सकता है। ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग/संगठन के पदक्रम में —अगली पदोन्नति वाले पद से सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन केवल नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जायेगा।

iv. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय पर भी अनुमेय होगा। तथापि, यदि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान वेतन-स्तर में नियमित पदोन्नति होती है तो उस समय कोई और वेतन निर्धारण नहीं होगा। तथापि, यदि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अंतर्गत उपलब्ध वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद पर वास्तविक पदोन्नति होती है, तो कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और केवल वेतन-स्तर का अंतर प्रदान किया जाएगा।

v. संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नति योजना के अधीन उनका वित्तीय उन्नयन, जो कि उसी पद पर है और जिसके तहत उच्च कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को वहन करने की जिम्मेदारी नहीं है, एक विशेष मामले के रूप में, उनकी प्रोन्नति/उन्नयन की तिथि से या उनकी अगली वेतनवृद्धि अर्थात वर्ष की पहली जनवरी/पहली जुलाई से उच्च पद/वेतन-स्तर में उनका वेतन निर्धारित करने हेतु उनका वेतन सी.सी.एस.(आर.पी.) नियम, 2016 के नियम 13(i) के अधीन निर्धारित किया जाएगा। वेतन तथा वेतनवृद्धि की तिथि व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2008-आई.सी. दिनांक 13.09.2008 की स्पष्टीकरण संख्या-2 के अनुरूप निर्धारित होगी।

vi. कर्मचारी की वेतनवृद्धि (वर्ष की पहली जनवरी/पहली जुलाई) की तिथि के आधार पर उच्च वेतन-स्तर में वेतन का निर्धारण भी अनुज्ञेय होगा। एक बार प्रस्तुत किया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जायेगा। विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि के एक माह के भीतर प्रशा.अधि. (का.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

vii. यदि ऐसा पाया गया कि कर्मचारी को अनवधानवश अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी अधिक राशि संबंधित कर्मचारी के वेतन से वसूल किए जाने योग्य होगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(मधू लूथरा)
प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती)

वितरण:

1. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी
2. प्रभाग प्रमुख, वित्त एवं लेखा प्रभाग
3. सभी क्षेत्रीय निदेशालय
4. प्रभाग प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग – कृपया इस आदेश को के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।
5. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव
6. सदस्य सचिव के निजी सचिव
7. सहायक निदेशक (राजभाषा)
8. प्रशा. अधिकारी (सामग्री)
9. कर्मचारी की व्यक्तिगत फाइल
10. प्रशासन अधिकारी (कार्मिक) की मास्टर फाइल
11. कार्यालय आदेश फाइल

Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
Delhi-110 032

F.No. C-20017/5/2000/Admn.(R)/MACP/ Date : 25.10.2023

ORDER

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009 and and O.M. No.35034/3/2015-Estt.(d) dated 22-10-2019, Screening Committee Meeting was held on 19-10-2023. The following employees are hereby recommended for grant of financial upgradation under the MACP Scheme in the Pay Matrix. They will move to immediate next higher level in the Pay Matrix with effect from the date as mentioned against their names :

Sl. No.	Name & Designation	Level at the time of financial upgradation	MACP/w.e.f./Level in Pay Matrix
1	Shri Shankar D. Bokde, Section Officer	Level-8	Eligible for 3rd MACP w.e.f. 29.09.2022 in Level-9 of Pay Matrix
2	Smt. Savita Gupta, Section Officer	Level-7	Eligible for 3rd MACP w.e.f. 01.09.2018 in Level-8 of Pay Matrix
3	Shri Rameshwar, Section Officer	Level-7	Eligible for 2nd MACP w.e.f. 01.07.2023 in Level-8 of Pay Matrix
4	Shri Sunil Kumar, MTS Grade-I	Level-2	Eligible for 2nd MACP w.e.f. 17.11.2023 in Level-3 in Pay Matrix

2) Financial upgradation granted to employees are inter-alia subject to the following conditions :

(i) The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiaries i.e., the financial benefits are granted with the retention of their old designations and the said financial upgradation shall not confer any privilege related to higher status.

(ii) The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbents (employees) and shall not amount to actual functional promotions of the employees concerned. Further, it shall have no relevance to their inter-se seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employees have got higher pay scale (s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior-Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

(iii) They are placed in the immediate next higher Level in the Pay Matrix in the hierarchy of the recommended revised Pay Matrix. Therefore, the Level (in Pay Matrix) at the time of financial upgaradation under the MACP Scheme can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades, be different than what is available at the time of regular promotion. In such cases, the Pay in the Pay Matrix attached to the next promotional post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be given only at the time of regular promotions.

(iv) Benefits of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same Pay-Level as granted under MACP Scheme. However, at the time of actual promotion, if it happens to be in a post carrying higher Pay-Level than what is available under MACP Scheme, no pay fixation would be available and only difference of Pay-Level would be made available.

(v) On their financial upgradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under Rule 13 (i) of CCS (RP) Rules, 2016 to get their pay fixed in the higher Post/ Pay-Level either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July/1st January of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No.2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

(vi) For fixation of pay in the higher Pay-Level (s) based on the date of increment (i.e. 1st July/ 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final. The option should reach to the Administrative Officer (P) within one month from the date of issue of this order.

(vii) In case it is found that an excess amount has been paid inadvertently, such excess amount shall be recovered from the salary of the concerned employee.

This order is being issued with the approval of competent authority, Central Pollution Control Board.

Madhu

(Madhu Luthra)
Administrative Officer (R)

Distribution:

1. Individual Concerned
2. Divisional Head, Finance & Accounts
3. All Regional Directorates
4. Divisional Head, IT ….Kindly get it uploaded on cpcb website.
5. PS to CCB
6. PS to MS
7. Additional Director (Rajbhasha)
8. Administrative Officer (Materials)
9. Personal File of the Individual
10. Master file of AO (P)
11. Office Order File